संख्या-12/2018-411ई-2/तेरह-2018-101/2015

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 08 फरवरी,2018

विषयः-आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक के चयन के सम्बन्ध में अब तक कृत कार्यवाही निरस्त कर नवीन तकनीकीयुक्त सुरक्षा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवैध मदिरा के व्यापार के कारण होने वाली राजस्व क्षति को रोकने के दृष्टिगत आबकारी विभाग में पूर्व से चली आ रही होलोग्राम व्यवस्था समाप्त करते हुये नवीन तकनीकीयुक्त सुरक्षा प्रणाली लागू करने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 25 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत आबकारी नीति 2018-19 में की गई है। तत्क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आबकारी विभाग में होलोग्राम आपूर्तक के चयन के सम्बन्ध में अब तक कृत कार्यवाही निरस्त कर नवीन तकनीकीयुक्त सुरक्षा प्रणाली लागू करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती हैः-

(1) वर्ष 2016 में निविदा के आधार पर चयनित होलोग्राम आपूर्तक मेसर्स यूफ्लैक्स लि0, ए-1, सेक्टर-60, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को 15 दिन का नोटिस देकर चयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-40/2016/1500 ई-2/तेरह-2016-101/2015, दिनांक 24 जून,2016, संख्या-79/2016/2692 ई-2/तेरह-2016-101/2015, दिनांक 15-12-2016, शासनादेश संख्या-2772 ई-2/तेरह-2016-101/2015, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-13/2017/849 ई-2/तेरह-2017-101/2015, दिनांक 01 मई,2017 निरस्त किये जाते हैं।

(2) वर्ष 2016 में चयनित होलोग्राम आपूर्तक की जमानत धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(3) नवीन तकनीकीयुक्त सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली का साफ्टवेयर एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश के द्वारा विकसित कर क्रियान्वित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाएगा। उक्त साफ्टवेयर निर्माण इकाईयों (शीरा/आर0एस0/ई0एन0ए0/अल्कोहल/लिकर) से लेकर उपभोग तक मदिरा के संचरण को ट्रैक करेगा। आबकारी आयुक्त द्वारा इस व्यवस्था का सुचारू संचालन विनियमित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त एन0आई0सी0 को तत्काल कार्यादेश देने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4) प्रदेश की आसवनियों को प्रति होलोग्राम 37 पैसे के स्थान पर नई सुरक्षा प्रणाली हेतु 15 पैसे प्रति बोतल के अनुसार प्राविधान किया गया है। अतः आसवनियों को निर्देशित कर दिया जाय कि वह एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर के आधार पर ई0आर0पी0 **(Enterprise Resource Planning)** साफ्टवेयर की सूचना को प्रस्तुत करें। आसवनियों को यह भी निर्देशित किया जाय कि वह वर्तमान समय में अपने ई0आर0पी0 **(Enterprise Resource Planning)** साफ्टवेयर की सूचना विभाग को भी तत्काल प्रेषित करें तथा अग्रतर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये जा रहे साफ्टवेयर के आधार पर बार/क्यू0आर0 कोड आधारित तकनीक अपनाई जाय। आबकारी आयुक्त द्वारा इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम,1964 तथा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 के अन्तर्गत बनाई गई संगत नियमावलियों में नई सुरक्षा प्रणाली अपनायी जाने के दृष्टिगत आवश्यक संशोधन किये जाएं।

भवदीया,
कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।